142

संख्याः 232 /उन्तीस(1)/2014–(10 अधि0)/2014

प्रेषक,

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्वजल परियोजना,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग–1

देहरादून : दिनांक : 05 मार्च, 2014

विषयः निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत सामुदायिक स्वच्छता कॉम्प्लेक्स हेतु नीति निर्धारण।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा प्रायोजित 'निर्मल भारत अभियान' का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समुदाय के स्तर में सुधार लाने के साथ–साथ स्वच्छता सुविधाओं के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करना है।

2– सामुदायिक स्वच्छता कॉम्प्लेक्स 'निर्मल भारत अभियान' का एक अभिन्न घटक है, जिसमें शौचालय, स्नानघर, कपड़े धोने के लिए चबूतरा, वॉशबेसिन इत्यादि गांव में ऐसे स्थान पर निर्मित किया जाना होगा जिसमें सम्बन्धित ग्राम के लाभार्थी सुगमता से पहुँच सकें। सामुदायिक स्वच्छता कॉम्प्लेक्स के लिए निर्धारित अधिकतम इकाई लागत रू. 2.00 लाख तक है, जिस हेतु केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा समुदाय के बीच हिस्सेदारी क्रमशः 60 : 30 : 10 के अनुपात में है।

3– 'निर्मल भारत अभियान' के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में 72 सामुदायिक स्वच्छता कॉम्प्लेक्स निर्मित करने का लक्ष्य प्रस्तावित है, जिसके निर्माण हेतु केन्द्रांश रू0 86.40 लाख, राज्यांश रू0 43.20 लाख एवं लाभार्थी अंश रू0 14.40 लाख कुल रू0 144.00 लाख है।

4– सामुदायिक स्वच्छता कॉम्प्लेक्स निर्माण के प्रस्तावित लक्ष्य को पूर्ण किए जाने के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत् नीति निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है :–

1) ग्राम पंचायतों में लाभार्थी अत्यंत गरीब श्रेणी के होने के कारण 10 प्रतिशत लाभार्थी अंशदान को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
2) उक्त सामुदायिक शौचालय कॉम्प्लेक्स हेतु जल की व्यवस्था सुचारू रूप से रखने हेतु 'निर्मल भारत अभियान' के राज्यांश के अन्तर्गत अतिरिक्त रूप से जल निगम एवं जल संस्थान के माध्यम से हैण्डपम्पों की व्यवस्था किए जाने एवं जिन स्थानों पर पाइप जलापूर्ति की व्यवस्था उपलब्ध है, वहां शौचालयों में कनेक्शन किए जाने की स्थिति में दोनों व्यवस्थाओं हेतु लगभग रू0 50.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की जाएगी। जलापूर्ति हेतु लाभार्थियों से निर्धारित मासिक जल मूल्य नहीं लिया जाएगा।
3) उक्त सामुदायिक स्वच्छता कॉम्प्लेक्स के विद्युत संयोजन हेतु उरेड़ा के माध्यम से सौर ऊर्जा आधारित विद्युत व्यवस्था हेतु राज्य सरकार द्वारा रू0 1.08 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की जाएगी। जिन सामुदायिक स्वच्छता कॉम्प्लेक्स में विद्युत विभाग द्वारा विद्युत संयोजन किया जाएगा तथा उन शौचालयों में मासिक विद्युत शुल्क माफ किया जाएगा।

4) सामुदायिक स्वच्छता कॉम्प्लेक्स के निर्माण हेतु जिन ग्राम पंचायतों के पास सामुदायिक भूमि उपलब्ध नहीं है, वहां पर वन/राजस्व विभाग द्वारा भूमि उपलब्ध/हस्तान्तरित करने हेतु रू0 160.00 लाख की अनुमानित धनराशि राज्य सरकार द्वारा 'निर्मल भारत अभियान' के अन्तर्गत राज्यांश की अतिरिक्त धनराशि के रूप में वहन की जाएगी।

5) इस प्रकार सामुदायिक स्वच्छता कॉम्प्लेक्सों के निर्माण हेतु उपरोक्त समस्त व्यवस्थाओं पर होने वाले कुल अतिरिक्त व्यय की धनराशि रू0 332.00 लाख 'निर्मल भारत अभियान' के निर्धारित मानकों में उल्लिखित राज्यांश के प्राविधान के अतिरिक्त इसी मद में राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

6) प्रश्नगत योजना तीन चरणों में 03 वर्ष के भीतर पूर्ण की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक परिवार को शौचालय की सुविधा उपलब्ध हो सके।

7) मलिन बस्तियों/बाल्मिकी बस्तियों में सामुदाचिक स्वच्छता हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में रू0 50.00 करोड़ का कार्पस फण्ड गठित किया जाएगा। मलिन बस्तियों/बाल्मिकी बस्तियों में व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण करने पर सम्बन्धित व्यक्ति को रूपये पांच हजार का अनुदान अनुमन्य किया जाएगा।

भवदीय,

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव को मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव के संज्ञानार्थ।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
8. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
9. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।